रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 267] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 1977/आषाढ़ 6, 1899

No. 267] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 1977/ASADHA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th June 1977

S.O. 422(E).—Whereas Messrs Shree Luchminarain Jute Manufacturing Company Limited owning an industrial undertaking is being wound up by the supervision of the Calcutta High Court, and the business of this Company is not being continued,

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary, in the interests of the general public and, in particular, in the interests of production of jute articles, to investigate into the possibility of running the aforesaid industrial undertaking,

And whereas on application being made by theCentral Government to the Calcutta High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Calcutta High Court has granted the permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making investigation into the possibility of running the aforesaid industrial undertaking, a body of persons consisting of —

Chairman

1 Shri M. K Kar Gupta, Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta

Members

2 Shri K K. Chatterjee, Industrial Adviser in the Office of the Jute Commissioner, Calcutta.

3 Shri Sivaraman, Messrs Duncan Brothers, Calcutta

[No F 3/9/77-CUC]

A K GHOSH, Addl Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 1977

का०आ० 422 (**अ**) —मैसर्स श्री लक्ष्मीनारायण जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जो एक औद्योगिक उपक्रम की स्वामी है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण द्वारा बंद की जा रही है और इस कंपनी का कारबार चालू नहीं रखा जा रहा है,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि जन साधारण के हित में और विशिष्टत. जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन के हित में यह आवश्यक है कि पूर्वोक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने की संभावनाओं का पता चलाया जाए,

और केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को यह प्रार्थना करते हुए आवेदन किया है कि ऐसी सभावना का अन्वेषण करने के लिए अनुज्ञा दी जाय, और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐसी अनुमति दे दी है,

अत, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने की सभावना पर अन्वेषण करने में प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री एम०के० कर गुप्ता, सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता

सदस्य

2. श्री के०के० चटर्जी, औद्योगिक सलाहकार, जूट आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता

3. श्री सिवारमन, मैसर्स डकन ब्रदर्स, कलकत्ता

[स०फा० 3/9 77-CUC]

अ० कु० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1977